



26 June, 2024

ICC ने रूसी नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किए

संदर्भ: ICC ने यूक्रेन युद्ध से संबंधित "कथित अंतरराष्ट्रीय अपराधों" के लिए पूर्व रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए।

➤ ICC के आरोप

- आरोप: "नागरिक वस्तुओं पर हमले करना" और "नागरिकों को अत्यधिक आकस्मिक नुकसान पहुंचाना या नागरिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना"।
- व्यक्तिगत जिम्मेदारी: ICC का मानना है कि सर्गेई शोइगु और वालेरी गेरासिमोव इन कृत्यों को करने और/या आदेश देने के लिए आपराधिक जिम्मेदारी वहन करते हैं।
- मिसाइल हमले: वे कथित तौर पर यूक्रेन के विद्युत बुनियादी ढांचे के खिलाफ मिसाइल हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें नागरिकों के खिलाफ कई कृत्य शामिल हैं।

➤ ICC द्वारा रूस पर मुकदमा

- रूस ICC के किसी भी निर्णय को "अमान्य" मानता है क्योंकि वह ICC का सदस्य नहीं है।
- पुतिन और दोनों अधिकारियों को ICC सदस्य देशों की यात्रा करने पर गिरफ्तारी का खतरा है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के खिलाफ पहला ICC गिरफ्तारी वारंट है।

➤ यूक्रेन और ICC क्षेत्राधिकार

- यूक्रेन की स्थिति: रोम संविधि का पक्ष नहीं।
- अधिकार क्षेत्र की स्वीकृति: अनुच्छेद 12(3) के अनुसार यूक्रेन ने अपने क्षेत्र में रोम संविधि के तहत अपराधों के लिए ICC के अधिकार क्षेत्र को दो बार स्वीकार किया है।
- अनुच्छेद 12(3): गैर-सदस्य देशों को रजिस्ट्रार को घोषणा करके और बिना देरी के सहयोग करके ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने की अनुमति देता है।

➤ ICC क्या है?

- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना 1998 में रोम संविधि द्वारा नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के लिए व्यक्तियों की जांच, मुकदमा चलाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी।
- न्यायालय ने 2003 में परिचालन शुरू किया और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है।
- ICC के 123 सदस्य देश हैं; उल्लेखनीय गैर-सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस और भारत शामिल हैं।
- ICC को राज्यों के दलों के योगदान और सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, व्यक्तियों, निगमों और अन्य संस्थाओं के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है।
- न्यायालय में 18 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग सदस्य देश से होता है, जिन्हें गैर-नवीकरणीय नौ-वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
- प्रेसीडेंसी में तीन न्यायाधीश (राष्ट्रपति और दो उपाध्यक्ष) होते हैं, जिन्हें न्यायाधीशों में से चुना जाता है।
- ICC के तीन न्यायिक प्रभाग हैं: प्री-ट्रायल डिवीजन, ट्रायल डिवीजन और अपील डिवीजन।
- अभियोक्ता का कार्यालय (OTP) रेफरल प्राप्त करने, जांच करने और मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है।
- रजिस्ट्री चैंबर्स और OTP को प्रशासनिक और परिचालन सहायता प्रदान करती है।
- ICC राज्यों के बजाय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।

- यह किसी मामले की सुनवाई कर सकता है, यदि वह देश जहां अपराध किया गया था, रोम संविधि का पक्षकार है या यदि अपराधी का मूल देश रोम संविधि का पक्षकार है।
- ICC अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल तभी कर सकता है, जब राष्ट्रीय न्यायालय ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो।
- ICC केवल 1 जुलाई, 2002 के बाद किए गए अपराधों को कवर करता है।
- यद्यपि ICC संयुक्त राष्ट्र (UN) संगठन नहीं है, लेकिन इसका UN के साथ सहयोग समझौता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी मामले को आईसीसी को सौंप सकती है, जिससे उसे अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, जबकि अन्यथा उसे इसका अधिकार नहीं होता।

बढ़ती गर्मी और पानी के तनाव की संभावनाएँ

संदर्भ: गर्मी और पानी के तनाव के कारण 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन में 14 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है, जिससे खाद्य असुरक्षा और बढ़ सकती है।

➤ 2050 तक खाद्य उत्पादन पर गर्मी और पानी के तनाव का प्रभाव:

- गर्मी और पानी के तनाव के कारण 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन में 6-14 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।
- यह गिरावट 2020 की तुलना में गंभीर खाद्य असुरक्षा वाले लोगों की संख्या में 1.36 बिलियन तक की वृद्धि कर सकती है।
- चीन और आसियान देश 2050 तक शुद्ध खाद्य निर्यातक से खाद्य आयातक बन सकते हैं।

➤ खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट से निष्कर्ष:

- रिपोर्ट "खाद्य उत्पादन और गंभीर खाद्य असुरक्षा पर गर्मी और पानी के तनाव के वैश्विक प्रभाव" 22 जून, 2024 को साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऑफ नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
- इसने विभिन्न जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के लिए 2020 की तुलना में 2050 में प्रतिशत कमी के रूप में खाद्य उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति दिखाई।
- कृषि उत्पादन में कमी के कारण वैश्विक खाद्य उत्पादन में कमी आती है, जिससे गंभीर खाद्य असुरक्षा वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती है।

➤ अनुमानित खाद्य उत्पादन में गिरावट:

- **भारत:** जल और ताप तनाव के कारण 2050 में खाद्य उत्पादन में 16.1 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है।
- **चीन:** 22.4 प्रतिशत की अनुमानित गिरावट।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** 12.6 प्रतिशत की अनुमानित गिरावट।
- **अफ्रीका:** 8.2-11.8 प्रतिशत की अनुमानित गिरावट।
- **ऑस्ट्रेलिया:** 14.7 प्रतिशत की अनुमानित गिरावट।
- **मध्य अमेरिका:** कुछ भागों में 19.4 प्रतिशत की अनुमानित गिरावट।

➤ गंभीर खाद्य असुरक्षा अनुमान:

- 2020 के सापेक्ष 2050 तक गंभीर खाद्य असुरक्षा वाले अतिरिक्त लोगों की संख्या 556 मिलियन से 1.36 बिलियन के बीच बढ़ सकती है।
- 2023 में, 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, जिसमें चरम मौसम खाद्य संकट को बढ़ाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक था।
- लगातार चार वर्षों तक, लगभग 22 प्रतिशत लोगों ने तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना किया, जो कि कोविड-19 से पहले के स्तर से काफी अधिक था।
- 18 देशों के लिए मौसम की चरम सीमा मुख्य कारण थी, जिसमें 72 मिलियन से अधिक लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे।

Face to Face Centres





26 June, 2024

➤ **तापमान रिकॉर्ड और जलवायु रुझान:**

- मई 2024 लगातार 11 महीनों के रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान के बाद, भूमि और महासागर की सतहों के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म मई था।
- जून 2024 में रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान का यह सिलसिला जारी रहने वाला है, जो संभावित रूप से लगातार दो वर्षों के तापमान रिकॉर्ड को तोड़ सकता है।

➤ **खाद्य कीमतें और व्यापार प्रवाह:**

- शोध से खाद्य कीमतों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से सबसे चरम वार्मिंग परिदृश्य और उच्च जल तनाव वाले क्षेत्रों में।
- कम जल तनाव वाले देशों और क्षेत्रों से लेकर उच्च जल तनाव वाले देशों और क्षेत्रों में कृषि वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि देखी गई, जो सापेक्ष क्षेत्रीय खाद्य मूल्य परिवर्तनों से प्रेरित थी।

लोकसभा के उपाध्यक्ष

संदर्भ: लोकसभा में विपक्ष की बढ़ती ताकत के साथ, इसके सदस्यों को उपसभापति का पद मिलने की उम्मीद है।

➤ **उपसभापति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदें:**

- लोकसभा में विपक्ष की बढ़ती ताकत के कारण इसके सदस्यों को उपसभापति का पद मिलने की उम्मीद है।
- 17वीं लोकसभा (2019-24) की पूरी अवधि के दौरान कोई उपसभापति नहीं रहा।
- उस समय भाजपा की सहयोगी पार्टी AIADMK के एम थम्बी दुरई 16वीं लोकसभा (2014-19) के उपाध्यक्ष थे।
- विपक्ष ने 1990 से 2014 तक लगातार उपसभापति का पद संभाला।

➤ **उपसभापति के लिए संवैधानिक प्रावधान:**

- अनुच्छेद 95(1) में कहा गया है कि यदि पद रिक्त है तो उपसभापति अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है और सदन की अध्यक्षता करते समय उसके पास समान सामान्य शक्तियाँ होती हैं।
- अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को "जितनी जल्दी हो सके" नियुक्त किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए समान प्रावधान हैं।
- संविधान इन नियुक्तियों के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, जिससे देरी हो सकती है।

➤ **उपाध्यक्ष के चुनाव के नियम:**

- आम तौर पर, अध्यक्ष का चुनाव नए सदन के पहले सत्र में होता है, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र में होता है।
- लोकसभा में, उपाध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों के नियम 8 द्वारा शासित होता है, जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है।
- उपसभापति सदन के विघटन तक पद पर बने रहते हैं, जब तक कि वे सदस्य नहीं रह जाते, इस्तीफा नहीं दे देते या सदन के प्रस्ताव द्वारा हटा नहीं दिए जाते।

➤ **अध्यक्ष के स्थान पर उप-अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के उदाहरण:**

- 1956 में अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर की मृत्यु के बाद उप-अध्यक्ष एम.अनंतशयनम अंगर ने अध्यक्ष का पद संभाला।
- 2002 में अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी की मृत्यु के बाद मनोहर जोशी के निर्वाचित होने तक उप-अध्यक्ष पी.एम. सईद ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

RoDTEP योजना



हाल ही में, भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (FIEO) ने वित्त मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि "राजकोषीय भित्तव्यथिता", निर्यात के लिए शून्य रेटिंग में बाधा न बने, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना के बारे में:

- निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना एक सरकारी पहल है जो निर्यात किए गए उत्पादों पर करों और शुल्कों को वापस करती है।
- इस योजना को जनवरी 2021 में भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (MEIS) के स्थान पर लागू की गई थी और इसका उद्देश्य निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, रोजगार सृजित करने और आर्थिक विकास में योगदान देने में मदद करना है।
- यह योजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करता है कि निर्यातकों को उन करों और शुल्कों के लिए रिफंड मिले जो पहले वसूल नहीं किए जा सकते थे, जैसे कि वे जो किसी अन्य तरीके से जमा, प्रेषित या वापस नहीं किए गए हैं।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के रूप में छूट जारी करता है।
- यह योजना वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित की गई है और यह 8-अंकीय टैरिफ शीर्षक स्तर पर उत्पादों के वर्गीकरण पर आधारित है।
- मार्च 2024 तक, इस योजना का बजट ₹15,070 करोड़ है और इसने 10,500 से अधिक निर्यात वस्तुओं का समर्थन किया है, जिनमें रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और लोहा और इस्पात क्षेत्र शामिल हैं।
- इस योजना को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया था और इसका लाभ अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा निर्मित उत्पादों के निर्यात को भी शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था।

कपास



वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, चालू विपणन सीजन (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024) में कपड़ा उद्योग द्वारा कपास की खपत इस दशक में सर्वाधिक कपास खपत सीजन में से सबसे एक रही है।

कपास के बारे में:

- कपास भारत में एक अर्ध-शुष्क जलवायु पौधा (सेमी-जेरोफाइट) और महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। भारत वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% योगदान करता है।
- देश में इसके आर्थिक महत्व के कारण इसे अक्सर "सफेद सोना" कहा जाता है।
- लगभग 67% भारतीय कपास वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है, जबकि 33% सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है।

Face to Face Centres



26 June, 2024

	- भारत में कपास विभिन्न प्रकार की मृदा क्षेत्रों में उगाई जाती है, जिसमें अच्छी तरह से निकाली गई गहरी जलोढ़ मिट्टी से लेकर काली चिकनी मिट्टी तक शामिल है। - भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कपास की सभी चार प्रजातियों की खेती करता है: गोसिपियम आर्बोरियम, जी. हरबेसियम, जी. बारबेडेंस और जी. हिर्मुटमा - दस प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों को तीन कृषि- पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: उत्तरी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान), मध्य क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) और दक्षिणी क्षेत्र (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु)। - सरसों और सोयाबीन के बाद, कपास का तेल भारत में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू रूप से उत्पादित वनस्पति तेल है। - कपास के तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है और बची हुई खली पशुओं और मुर्गी पालन के लिए एक महत्वपूर्ण पशु खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है।
पोटेशियम साइनाइड 	पोटेशियम साइनाइड कोशिकीय श्वसन को बाधित करके अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है। पोटेशियम साइनाइड के बारे में: - पोटेशियम साइनाइड (KCN) एक अत्यधिक विषैला रासायनिक यौगिक है। - यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के रूप में दिखाई देता है जो पानी में घुलनशील होता है, जिससे एक पारदर्शी और रंगहीन विलयन बनता है। - यह मुख्य रूप से माइक्रोऑर्गेनिज्मों में एंजाइम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को बाधित करके कोशिकीय श्वसन में हस्तक्षेप करने अपनी क्षमता के कारण अत्यधिक विषाक्तता के लिए जाना जाता है। - यह शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति को धीरे-धीरे रोककर मृत्यु का कारण बनता है। - यह हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कोशिकीय श्वसन के लिए महत्वपूर्ण हैं। - जब इसका सेवन किया जाता है, तो पोटेशियम साइनाइड पोटेशियम और साइनाइड आयनों में विभाजित हो जाता है। - हीमोग्लोबिन में फेरस आयन के लिए साइनाइड आयनों की अधिक आत्मीयता होती है, जो ऑक्सीजन के लिए निर्धारित स्थान को अवरुद्ध कर देता है। - यह बंधन अपरिवर्तनीय है और ऑक्सीजन के स्थानांतरण को रोकता है, जिससे कोशिकीय श्वासावरोध होता है। साइनाइड विषाक्तता के प्रारंभिक लक्षणों में चक्कर आना, सिरदर्द और त्वचा का नीला पड़ना शामिल है।
सुर्खियों में स्थल कजाकिस्तान	हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कजाकिस्तान (राजधानी: अस्ताना) अवस्थिति: कजाकिस्तान, आधिकारिक तौर पर कजाकिस्तान गणराज्य एक भूमि से घिरा हुआ देश है जो ज्यादातर मध्य एशिया में है। राजनीतिक सीमाएँ: कजाकिस्तान चीन (पूर्व), रूस (उत्तर और पश्चिम), उज्बेकिस्तान (दक्षिण), किर्गिस्तान (दक्षिण-पूर्व) और तुर्कमेनिस्तान (दक्षिण-पश्चिम) के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। भौतिक विशेषताएँ: - कजाकिस्तान का सबसे ऊँचा स्थान खान तेंगरी है। - कजाकिस्तान की प्रमुख नदियों में इरतीश, सिर दरिया, इली, यूराल और चू शामिल हैं, जो देश की सिंचाई, परिवहन और पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देती हैं। - कजाकिस्तान कोयला, लौह अयस्क, तांबा, सोना, यूरेनियम और विभिन्न दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित खनिजों में समृद्ध है, जो इसे वैश्विक खनन उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। 

POINTS TO PONDER

- अंडर-17 एशियाई कुरुती चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? – 11
- हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? – नई दिल्ली, भारत
- किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोकथाम अभियान 2024 शुरू किया? – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- किस राज्य सरकार ने हाल ही में NEP के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? – मध्य प्रदेश
- हाल ही में खबरों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? – लद्दाख

Face to Face Centres

